

प्र०

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
ठ मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

सेवा में

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली

पत्र संख्या—नि०-२ / एन०आ००सी० / ————— / 2014-15 दिनांक ३८ दिसम्बर, 2014

विषय— अभिका प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, शुक्लागंज उन्नाव को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से रामबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि ज्ञासनादेश संख्या—1916 / 15-7-09-1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल पॉर वि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई०बी०एस०ई०) नई दिल्ली / सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में बौद्ध संकुलेशन बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अभिका प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, शुक्लागंज उन्नाव को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन (सी०बी०एस०ई०) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् / वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कदाओं के लिए निर्धारित कुलक से अधिक कुलक नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मौँग नहीं की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुपन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा—विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त ज्ञासनादेश माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. पिधालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
9. जनहित याचिका संख्या—483 / 2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हों चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभांति प्रशिक्षित है।

-2-

10. उपर्युक्त जर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशेधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2— उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सर्स्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि सर्स्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वर्ती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

श्रीमती (सुल्ता सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

फट मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

पृ०सं०-नि०-२/एन०ओ०सी०/ ११२३९५-३६

/2014-15 दिनांक उक्तावत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. शिक्षा सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. प्रबन्धक, अधिका प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, चुक्लागंज उन्नाव।
7. गार्ड फाइल

श्रीमती (सुल्ता सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

फट मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव